

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम लक्ष्मणगढ़
करनैल सिंह बनाम राजेन्द्रसिंह
अन्तर्गत धारा 88, 53,188 आर टी एक्ट

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो जारी हुआ
29.08.2019	आज यह दावा वकीलवादी के वकील द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर पेश किया। जिसे स्वीकार किया जाकर कार्यालय रिपोर्ट ली गई। दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को जयें सम्मन तलब होकर दिनांक 21.10.2019 को पेश हो। <div style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ अलवर</div>	
<u>21/11/19</u>	फावली पेशा वकील वादी उपरोक्त वाले नलकी इन्तजार दि. 16/12/19 को पेश हो	
<u>16/12/19</u>	फावली पेशा वकील वफ्ति उपरोक्त प्रति सं. 1/ल/3 की पूनः नलकी हेतु साधा/रजि. नलवाना पेश को। फावली दिनांक 26-2-20 को पेश हो	
<u>26/2/20</u>	फावली पेशा वकील वफ्ति उपरोक्त प्रति सं. 1/ल/3 की नलकी हेतु रजि. साधा/नलवाना अफफक रूप से पेश को। फावली वाले नलकी दिनांक 28/4/20 को पेश हो	
<u>28/4/20</u>	वकायाव के पत्रोप उप. 10, 9, वा। वकायाव के कोर्ट 15... है। उपके वका वकील... 11/8... को पेश हो। वकाया	

11/8/20 वकायाव के पत्रोप उप. 10, 9, वा।
वकायाव के कोर्ट 15... है। उपके वका
वकील... 13/10... को पेश हो। वकाया

फॉर्म अहमकाम

न्यायालय..... मुकाम.....
 कानून लॉ फीट..... बरनाम..... राजेश सिंह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहमकाम जो जारी हुआ
-------------	----------------------------------	----------------------------------

11/8/21-

पत्रावली पेशा वकील वादी उपरो प्रलोकित
 17003 की चुनकी नेहल रामपूना पेशा वकील
 पत्रावली दिनांक 26/10/21 को पेशा हुआ

26/10/21

उपरोक्त वकील पत्रावली, दिनांक 26/10/21 को पेशा हुआ।
 उक्त वकील पत्रावली दिनांक 26/10/21 को पेशा हुआ।

ANNO. 497.98
 29.11.2021
 शिफारिश दिनांक 17.12.2021

16.11.21

पत्रावली दिनांक 16/11/21 को पेशा हुआ।
 प्रकरण राज्य सरकार के आदेशानुसार आयोजित "प्रशासन गाँवों के संग अभियान-2021" में रखने योग्य पाया जाता है। अतः पत्रावली राजस्व अभियान में पंचायत मुख्यालय पर दिनांक 17/11/21 को पेशा हो।
 उपरोक्त अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर)

17/12/21

पत्रावली उपरोक्त गाँवों के संग अभियान 2021 को शिफारिश के माध्यम से मुख्य सिविल जज के पास पेशा हुआ। वादीगण वकील उपरोक्त वादीगण की ओर से श्री मनीराम सेनी एडवोकेट वकील नामक पेशा किया। वादीगण ने प्राप्त पत्र पेशा का निवेदन किया कि वे स्वेच्छा से प्रकल्प के अन्तर्गत नहीं चाहते मुकदमा खारिज करते का निवेदन किया। पत्रावली को इनके द्वारा किया गया। एवम प्रेशा वादीगण द्वारा वादीगण खारिज किया जाता है। पत्रावली के साथ प्रमाण होने से प्रमाण होना संभव हो सकता है।

गुरमीत

उपरोक्त अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर)